वित्त निर्देश 10/2005

बजट तत्काल

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
::मंत्रालय::
दाऊ कल्याण सिंह भवन,रायपुर-492001

क्रमांक 261/2005/ब-1/चार/ रायपुर, दिनांक 29 मार्च, 2005

प्रति,

विषय:- वर्ष 2005-06 के बजट आबंटन की संसूचना ।

छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2005 को छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2005 पारित किया गया है । आपसे संबंधित मतदेय एवं भारित व्यय के लिए 01 अप्रेल, 2005 से 31 मार्च, 2006 तक के लिए आबंटित राशि के ब्यौरे संलग्न प्रपत्र में दर्शाये गए हैं । वर्ष 2005-06 का बजट साहित्य आपको पृथक से उपलब्ध कराया गया है । मांग संख्या 15, 41, 42, 53, 64, 68, 82 एवं 83 के अधीन प्रावधानित राशि का आबंटन आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा इस ज्ञापन में निर्धारित शर्तो के अधीन ही दिया जाएगा । सभी बजट पुस्तिकाएं वित्त विभाग की वेबसाइट http://cgfinance.nic.in पर भी उपलब्ध है ।

(2) उपलब्ध आबंटन निम्नाकिंत शर्तो के अधीन दिया जाता है:-

1. संसाधनों की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आयोजनेत्तर एवं आयोजना मद में 10 प्रतिशत कटौती की गई है ।

2. प्रत्येक विभाग द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि चालू वित्तीय वर्ष में प्रति माह व्यय समानुपातिक रूप से हो तथा व्यय में छत्तीसगढ़ वित्त

संहिता भाग-एक के नियम 8 (वित्तीय औचित्यता के मानक सिद्धांतों) का पालन किया जाये ।

3. व्यय वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन पुस्तिका के भाग 'एक' एवं 'दो' में दिये गये अधिकारों के अन्तर्गत किया जाये । जिन प्रकरणों में सहमति/स्वीकृति वित्त विभाग से प्राप्त करना आवश्यक है, प्रथमतः सहमति/स्वीकृति वित्त विभाग से प्राप्त किये जायें ।

4. निर्माण कार्य विभागों द्वारा राशि का आबंटन प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंताओं/अधीक्षण यंत्री को उपलब्ध कराने से पहले विभाग प्रमुख द्वारा साख पत्रों के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जाए । निर्माण कार्य विभागों के प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंताओं/अधीक्षण यंत्री (लोक निर्माण विभाग को छोड़कर) उन्हें आबंटित राशि के विरूद्ध यथानुसार अधीक्षण यंत्रियों/कार्यपालन यंत्रियों को एक बार में एक माह से अधिक के लिए साख पत्र जारी नहीं करेंगे । इसी प्रकार एक माह में एक से अधिक साख पत्र भी जारी नहीं किया जाएगा । लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण यंत्री अपने अधीनस्थ कार्यपालन यंत्री को तीन माहों के लिए एक बार त्रैमासिक साखपत्र जारी करेंगे । साख पत्र निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करते हुए संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया जाएगा ।

5. नाबार्ड पोषित योजनाओं में नाबार्ड की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही योजनाओं में व्यय किया जाएगा ।

6. निर्माण कार्य विभागों के बजट में उच्चन्त मद में रखी गयी राशि का आबंटन, उसका व्यय एवं वर्षान्त से पूर्व समायोजन वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा ।

7. किसी भी हालत में बजट आबंटन से अधिक व्यय अतिरिक्त आबंटन की प्रत्याशा में नहीं किया जाएगा ।

8. कई मामलों में व्यय का प्रावधान इस आधार पर रखा गया है कि उसकी अनुपातिक राशि संस्थागत वित्तीय संस्थाओं अथवा भारत सरकार से प्राप्त होगी । ऐसे मामलों में, जैसे केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना, केन्द्र प्रवर्तित योजना भारत सरकार से प्राप्त अलावा राशि तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की राशि जहां व्यय के पूर्व ही सहायता स्वीकृत होती है, सहायता की राशि राज्य शासन के खाते में जमा होने के बाद ही व्यय की जाएगी । सहायता राशि की राज्य शासन को प्राप्ति की पुष्टि वित्त विभाग बजट शाखा-4 से कराने का उत्तरदायित्व विभाग प्रमुख का होगा । जहां भी प्रतिपूर्ति के आधार पर सहायता प्राप्त होती है, व्यय की प्रतिपूर्ति 2 माह के अंदर सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी ।

9. मुख्य शीर्ष 6000 से ऊपर के समस्त मुख्य शीर्षो में, जो राज्य शासन द्वारा किसी अन्य संस्था/व्यक्ति को ऋण देने से संबंधित है, राशि वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना जारी नहीं की जाएगी । ऐसे प्रकरणों में विभाग ऋण की शर्तो, जिसमें ब्याज की दर, भुगतान की अवधि, मोरेटेरियम की अवधि सम्मिलित है, के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने पर ही राशि जारी की जाए तथा उसके आहरण की कार्यवाही की जाए। विभागाध्यक्ष इसके लेखे व वसूली की पंजी संधारित करने के लिए उत्तरदायी होंगे ।

10. आरक्षित निधियों में राशि अंतरण की कार्यवाही की जिम्मेदारी संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी की होगी । कृपया राशि व्यय करने के पूर्व नियमानुसार वित्त विभाग के परामर्श से राशि आरक्षित निधियों में अन्तरित करें ।

(3) उपरोक्त आबंटन से आपके द्वारा अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को, जो आबंटन किया जाए, उसकी एक-एक प्रति वित्त विभाग, संबंधित कोषालय/उप कोषालय अधिकारी एवं महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर को भेजी जाए तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाए कि वे व्यक्तिगत रूप से आबंटन की

जानकारी कोषालय के कम्पयूटर पर उपलब्ध करायें । कृपया यह सुनिश्चित करें कि अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को बजट आबंटन अनिवार्यत: दिनांक 08.04.2005 तक जारी कर दिया जाए जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा न आए । व्यय का मासिक प्रगति प्रतिवेदन बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा आबंटन शीर्ष के अनुसार वित्त विभाग को इंटरनेट पर प्रत्येक माह की 10 तारीख के अन्दर भेजा जाना अनिवार्य है । यह उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का है । आदिवासी उपयोजना तथा विशेष घटक योजना के व्यय पत्रक की प्रति आदिम जाति कल्याण विभाग को भी भेजी जाए ।

(4) अधीनस्थ कार्यालयों को बजट आबंटित करते समय बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा इस विभाग के निर्देशों के अनुसार जिला मुख्यालय एवं दूरस्थ अंचलों में पदस्थ शासकीय कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए समुचित धनराशि आबंटित की जाए ।

(5) व्यय करते समय शासन के मितव्ययता संबंधी समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए ।

(6) विभिन्न विभागों द्वारा पंचायत तथा नगरीय संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत करने हेतु संबंधित विभागों को ही आबंटन सौंपे जा रहे हैं । पंचायत/ नगरीय निकायों के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यों के लिए उन्हें आबंटन आदि समय पर देने का दायित्व संबंधित विभाग का होगा । जहाँ अनुदान हेतु प्रावधान का आधार विभिन्न राजस्व की प्राप्ति हो, वहाँ अनुदान के विमुक्तिकरण से पूर्व वित्त विभाग से राजस्व प्राप्ति की पुष्टि करा ली जाए ।

(रेणु जी. पिल्ले)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ. क्र. 262/2005/ब-1/चार/ रायपुर, दिनांक 29 मार्च, 2005

प्रतिलिपिः-

1. सचिव, आदिम जाति अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर भेजकर निवेदन है कि मांग संख्या 15, 41, 42, 53, 64, 68, 82 एवं 83 के अधीन आबंटित राशि के उपयोग एवं मानीटरिंग हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करें ।
2. महालेखाकार छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ ।

(विनोद कुमार लाल)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग